	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 17, शुक्रवार, *शाके* 1947- फरवरी 06, 2026 Magha 17, Friday, Saka 1947- February 06, 2026	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 30, 2026

(अन्तर्गत भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1))

RajKaj Ref No.: 20240849 :-राजस्थान के राज्यपाल द्वारा भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के **प्रावधानुसार राजस्थान राज्य के कोटपूतली कि शनगढ़ (ग्रीनफील्ड़ एक्सप्रेसवें) सड़क को छ लेन /चार लेन मय पेव्ड़ शोल्डर विकसित किए जाने के प्रयोजन** से जिला अजमेर में प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन प्रस्तावित है।
उक्त परियोजना हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार प्रभावित गांवों में भूमि अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

क्र.सं.	जिला	तहसील	गाँव का नाम	सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी
1	अजमेर	किशनगढ	नलू	तहसील किशनगढ, उपखण्ड अधिकारी किशनगढ
2	अजमेर	किशनगढ	तिलोनिया	
3	अजमेर	किशनगढ	तोलामाल	
4	अजमेर	किशनगढ	बड़गांव	
5	अजमेर	रूपनगढ़	काकनियावास	तहसील रूपनगढ़, उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़

यह अधिसूचना जारी कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(1) एवं राजस्थान भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानों के अनुसरण में उक्त सूची अनुसार प्रभावित क्षेत्र में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन हेतु संबंधित ग्राम पंचायत नगरपालिका, नगर निगम या अन्य कोई स्थानीय निकाय से सम्पर्क करने एवं राजस्थान भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के नियम

6(8) की पालना सुनिश्चित करने हेतु अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-किशनगढ जिला-अजमेर (राज) को तहसील किशनगढ एवं रूपनगढ़ के लिए अधिकृत किया जाता है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4(6) के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी, तहसील किशनगढ के लिए उपखण्ड अधिकारी- किशनगढ ,तहसील रूपनगढ़ के लिए उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़, संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी होगें।

परियोजना के लिए नियमानुसार सामाजिक समाघात अध्ययन एवं निर्धारण हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा '' मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रुप, जयपुर ''एजेंसी का चयन किया गया है।

अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड- किशनगढ जिला-अजमेर (राज) द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन के लिए तहसील किशनगढ एवं रूपनगढ़ के प्रभावित गाँवों में सामाजिक समाघात निर्धारण राजस्थान भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2016 के प्रावधानुसार किया जायेगा। सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी-

1.संस्था द्वारा परियोजना हेतु प्रस्तावित भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों का विवरण तैयार कर सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रारुप रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

2 .प्रारुप रिपोर्ट की प्रति प्रभावित गाँवों में समुचित स्थान पर प्रदर्शित की जावेगी। तत्पश्चात प्रभावित गाँवों में पर्याप्त प्रचार प्रसार के उपरांत जन सुनवाई की जायेगी, जिसका कार्यवाही विवरण समुचित रूप से रिकार्ड किया जायेगा।

3. जन सुनवाई के दौरान आये सुझावों/आपत्तियों के समुचित समाधान को शामिल कर सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं सामाजिक समाघात प्रबन्ध योजना रिपोर्ट तैयार की जायेंगी।

4. सामाजिक समाघात निर्धारण की प्रक्रिया प्रभावित गाँवों में सम्बन्धित पंचायत/नगरपालिका के परामर्श से की जायेगी।

5 .सामाजिक समाघात मूल्यांकन के दौरान किसी भी प्रकार के बलप्रयोग या धमकी का प्रयत्न इस कवायद को अकृत और शून्य बना देगा।

6. सामाजिक समाघात निर्धारण प्रक्रिया को इस अधिसूचना की तिथि से अधिकतम 6 माह की अवधि से पूर्व सम्पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

सम्पर्क सूत्र -

तहसील - किशनगढ एवं रूपनगढ़
सामाजिक समाघात निर्धारण ईकाई
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि.
खण्ड- किशनगढ
जिला- अजमेर (राज)

सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी
मैसर्स कन्सलटिंग इंजीनियरिंग ग्रुप, जयपुर
(श्री सुरेंद्र कुमार शर्मा-सोशल एक्सपर्ट)

आर.के.लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सार्वजनिक निर्माण विभाग, राज0 जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।